H. 11016/6/2011-DCC (AYUSH)
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Department of AYUSH
DCC

IRCS Annexe Building, New Delhi
10.10.2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advisory for Public and Physicians of All Indian System of Medicines w.r.t. "Consumption of Vegetable Juice".

The Govt. of India, Ministry of Health and FW while fulfilling the assurance in Lok Sabha Unstarred Q.No.1139 dt.30/7/2010 regarding Consumption of Vegetable Juice asked by Shrimati Botcha Jhanshi Lakshmi. To fulfill the assurance Department of Health, Govt. of India had constituted an expert committee at ICMR under Chairmanship of Dr. S.K. Sharma, Prof. & Head, Department of Medicine, AIIMS, New Delhi to investigate the issue of safety of consumption of lauki juice. After examination of all aspects of lauki juice, the committee has recommended the following;

- **For Public**: The community needs to be educated regarding the following;

i) A small piece of lauki should be tasted before extracting the juice to ensure that it's not bitter. If it is bitter, it should be discarded.
ii) Bitter tasting lauki juice should not be consumed at all.
iii) Lauki juice should not be mixed with any other juice.
iv) After consumption of lauki juice if there is any discomfort, nausea, vomiting, or any feeling of uneasiness, the person should be immediately taken to a nearby hospital.

- **For Clinicians**: Any case which comes with symptoms of any discomfort, nausea, vomiting diarrhea, gastrointestinal bleeding after consumption of lauki juice should immediately be attended and following assessment should be carried out after securing an IV route:

i) Detailed clinical examination with recording of vitals. Details of the quantity of juice consumed and its taste should also be recorded.
ii) Hemogram, urine examination, biochemical, electrolytes, liver & Kidney function tests including prothrombin time and platelet counts, serum amylase, blood sugar
Iii) Others: X-Ray chest, ECG, Ultrasound and Endoscopy as and when required.

- **Principles of Management**: Since there is no specific antidote available, following measures are suggested:

i) General supportive care: IV fluids/crystalloids/blood products/fresh frozen plasma to maintain the hemodynamics and electrolyte balance;

ii) Ryle's tube to be put in for gastric lavage and to assess gastrointestinal bleeding-aspirate to be preserved;
iii) Proton pump inhibitors for management of gastrointestinal bleeding; and
iv) Appropriate treatment for other complications.

You are requested to issue advisory at large through print media/ circular /poster etc. portal in your state to create awareness to the public as well as physicians so that such incident may not occur in future.

(Dr. J. Pandey)
Jt. Adv. (Ay.)

To,

1. All State Principal Health Secretaries/Health Secretaries
2. All State Director of Health Services/State Drug Licensing Authorities/FDAs/State Drug Licensing Authorities of AYUSH
3. DG ICMR / DGs CCRAS, CCRUM, CCRH, CCRS and Director CCRYN
4. Registrar CCIM/ MCI/CCH.
5. All Medical & Ayurvedic/Unani & Homoeopathic colleges of India
6. NIC for posting on the website of department.

Copy for information to;

(i.) PPS to HFM, Ministry of Health & FW, Nirman Bhawan, New Delhi
(ii.) PPS to MOS Ministry of Health & FW, Nirman Bhawan, New Delhi
(iii.) PS to Secretary (Health), Ministry of Health & FW, Nirman Bhawan, New Delhi
(iv.) DCG(I) FDA Bhawan, Kotla Marg, Near Mata Sundri College, New Delhi-110002,
(v.) PS to Secretary (AYUSH), Department of AYUSH, Ministry of Health & FW
(vi.) PS to JS (DDS)/JS (VSG), Department of AYUSH, Ministry of Health & FW

सं. एच.11016/6/2011-डीसीसी (आयुष)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष विभाग
डीसीसी

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी भवन, नई दिल्ली
10.10.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः "सब्जी का जूस पीने" के संबंध में अखिल भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों एवं जनता को सलाह।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा सब्जी का जूस पिए जाने के संबंध में दिनांक 30.7.2010 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्याः 1139 में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए लौकी का जूस पीने संबंधी सुरक्षा मुद्दों की जांच करने के प्रयोजनार्थ डॉ. एस. के. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आईसीएमआर में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। लौकी के जूस से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के बाद समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- **जनता के लिएः** लोगों को निम्नलिखित के बारे में शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है:

  i. जूस निकालने से पहले लौकी का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे चख कर देख लेना चाहिए कि वह कड़वा तो नहीं है। कड़वा होने की स्थिति में उसे फेंक देना चाहिए।
  ii. कड़वे जायके वाले लौकी के जूस को कदापि नहीं पीना चाहिए।
  iii. लौकी का जूस किसी अन्य जूस में मिलाकर नहीं पीना चाहिए।
  iv. लौकी का जूस पीने के बाद यदि बेआरामी, चक्कर, उल्टी, दस्त अथवा बेचैनी महसूस हो तो रोगी को तत्काल निकट के अस्पताल में पहुंचाया जाना चाहिए।

- **चिकित्सकों के लिएः** लौकी का जूस पीने के बाद यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की बेआरामी, चक्कर, उल्टी, दस्त, आंत्रशोथ और रक्तस्राव के लक्षण दिखाई दें तो रोगी को अंतःशिरा उपचार देने के उपरांत उसके साथ निम्नलिखित क्रिया अपनाई जानी चाहिएः

  i. मर्मअंगों की रिकार्डिंग सहित विस्तृत चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। इस्तेमाल किए गए जूस की मात्रा और उसके स्वाद को भी रिकार्ड किया जाना चाहिए।
  ii. प्रोथरोम्बिन समय और प्लेटलेट की संख्या, सीरम एमाइलेस, रक्तमधुमेह सहित हेमोग्राम, मूत्र जांच, जैव रसायनिक, इलेक्ट्रोलाइट्स, यकृत और वृक की क्रियाशीलता की जांच कराई जानी चाहिए।
  iii. अन्यः जब और जैसे आवश्यकता हो सीने का एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासांउड और एंडोस्कोपी कराई जानी चाहिए।

- **उपचार के सिद्धांत:** चूंकि इसका कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिएं:

i. सामान्य सहायक परिचर्या: हैमोडाइनामिक्स और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन कायम रखने के लिए अंत:शिरा द्रव्य/क्रिस्टललाभ/रक्त उत्पाद/ताजा हिमकृत प्लाज्मा दिया जाए।
ii. आमाशय शोथ के लिए राइलट्यूब का उपयोग करने के साथ-साथ आंत्रशोथ रक्तस्राव प्रश्वास को संरक्षित करने संबंधी जांच की जाए।
iii. आंत्रशोथ रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रोटोन पम्प इनहिबिटरों का उपयोग किया जाए।
iv. अन्य विकृतियों का उचित उपचार किया जाए।

आप से अनुरोध है कि जनता और चिकित्सकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया/प्रपत्र/पोस्टर और आपके राज्य के पोर्टल आदि के माध्यम से सभी आम और खास के लिए सलाह जारी की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो।

(डॉ. जे. पाण्डेय)
संयुक्त सलाहकार (आयु.)

1. सभी राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव/स्वास्थ्य सचिव।
2. सभी राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक/राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारी/एफडीए/आयुष के राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारी।
3. महानिदेशक, आईसीएमआर/महानिदेशक, सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम,सीसीआरएच,सीसीआरएस और निदेशक, सीसीआरवाईएन।
4. रजिस्ट्रार, सीसीआईएम/एमसीआई/सीसीएच।
5. भारत में सभी आयुर्विज्ञान एवं आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक कॉलेज।
6. एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर डालने करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

i. प्रधान निजी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
ii. प्रधान निजी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
iii. निजी सचिव, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
iv. डीसीजी (I) एफडीए भवन, कोटला मार्ग, निकट माता सुन्दरी कॉलेज, नई दिल्ली-110002
v. निजी सचिव, सचिव (आयुष), आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
vi. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डीडीएस)/संयुक्त सचिव (वीएसजी), आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।